

सम्पति अवमार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 139/202-1

आवेदन सं० _____

शुद्धे Yashvi Sahu ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवमारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2012 से ता० up to date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है:-

| क्र० सं० | (क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम | | दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश | | |
|----------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|------|-------|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द सं० | वर्ष | पृष्ठ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Village Misirgonda No. 191 Gandga Ranchi Khata No. 7 plot No. 1371 Area 16.53 dec. | | | | MIL | | | |

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बैंक -पत्र की दशा में व्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

वे यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहारी और अवगारी को छोड़कर सभी संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारी और अवगारी का पता नहीं चलता है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

नाम Asim
दिनांक 5-8-2021

तलाशी का संव्यवहारी और प्रमाण-पत्र की जांच निम्न व्यक्तियों ने की

नाम _____

दिनांक _____

नाम S. R. O. Kaur
दिनांक 5-8-2021



निष्पन्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर 5-8-21
5-8-2021

टिप्पणी- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारी और अवगारी दिखाए गए हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाए गए हैं। यदि आवेदक कुछ दिने नए विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निष्पन्न दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों को प्रमाणित संव्यवहारी (इन्वेन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जाएंगे।

(1) निष्पन्न अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्वेन्स) की प्रविष्टियों देना चाहते हो अथवा जो उनके प्रविष्टियों लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवगारी के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। सिहित धीरे का मुआयना करने पर बहियों एवं अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु मुक्ति सर्वेक्षण मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए सर्वेक्षण में अपेक्षित तलाशी अपने परसक सहायनी से की है। जिन से निष्पन्न प्रमाण-पत्र में दिने गए तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए भी किसी तरह विन्मोहन नहीं होगी।

(3) किन्तु मुक्ति सर्वेक्षण मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और वे उसके द्वारा हुई गए संव्यवहारी और अवगारी को संव्यवहारी के साथ प्रमाण-पत्र में दिनांक गया है, इसलिए निष्पन्न आवेदक द्वारा न हुई गये ऐसे संव्यवहारी अथवा की मुक्त के लिए किसी भी तरह विन्मोहन न होगा जिसमें उक्त संपत्ति का प्रमाण पत्रका हो।

दिनांक 5-8-2021 Opp. Yashvi Saha का 21 का 20
At Manager, Bank of Baroda, Banahi का 21 का 20

निष्पन्न पदाधिकारी 5-8-21
पृष्ठ संख्या 3 (सर्वांग)
5-8-2021